न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 261/2015
पंजीयन दिनांक 05.10.2015

(1). इन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ओरड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). हेमसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ओरड़ी हाल मुकाम 41 पंचेटी कल्याण भवन, चित्रगुप्त कॉलोनी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(2). ओंकारसिंह पिता कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 123/2014 अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.05.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). रमेशचन्द्र दशोरा-अधिवक्ता अपीलांट
(2). ललित लढा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय **दिनांक 26.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा ओरड़ी की आराजी सख्या 49 रकबा 0.65

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा खातेदारी मे दर्ज होकर अपने-अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से उभय पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे पृथक-पृथक खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्यां 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे को सहमति का जवाब होना बताते हुए व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बंटवाड़ा किये जाने मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते निर्णय लोक अदालत मे नियत की जाकर दिनांक 14.03.2015 को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव यथा संभव पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्षकारान को सहमत होना बताकर दिनांक 28.05.2015 को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत की जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्यां 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे को सहमति का जवाब होना बताते हुए व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं होना बताकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की बिना जानकारी के पत्रावली वास्ते निर्णय लोक अदालत मे नियत की जाकर पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2015 को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव यथा संभव पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं थी। दिनांक 10.04.2015 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर ने स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न प्रस्ताव व पर्चा मौका पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर भी नही इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही किये जाने एवं उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने से अवैधानिक है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या को आपत्ति करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्षकारान को सहमत होना बताकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्यां 2 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बंटवाड़ा किये जाने मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहमत होने से दिनांक 14.03.2015 को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव यथा संभव पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना मे दिनांक 10.04.2015 को विधिपूर्वक विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्षकारान के सहमत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की है जो न्यायोचित होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्यां 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे को सहमति का जवाब होना बताते हुए व रेकॉर्ड अनुसार बंटवाड़ा किये जाने मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं होना बताकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की बिना जानकारी के पत्रावली वास्ते निर्णय लोक अदालत मे नियत की जाकर पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 14.03.2015 को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव यथा संभव पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं थी। दिनांक 10.04.2015 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर ने स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव व पर्चा मौका पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर भी नही है। इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने एवं उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने से अवैधानिक है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्षकारान को सहमत होना बताकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 123/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियम 18 से 20 की पालना करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे आलेदार चित्तौड़गढ से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, उभय पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार करते हुए, गुणावगुण पर तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ(राज0)